रजिस्ट्री सं० 221
Division IOD
Accn. No. IOD-11064
Date of Accn. 25.6.76

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 1973/आश्विन 9, 1895
No. 341] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 1973/ASVINA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 1st October 1973

S. O. 536 (E)/15 IDRA/73.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs Hind Cycles Limited, Bombay, (Bombay unit) is engaged in the Scheduled Industry, namely, Bicycles and Bicycle chains industry.

And whereas the Central Government is of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

1. Shri B. G. Roy, General Manager; Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta. — *Chairman*
2. Shri Vijay Kumar, Chief Engineer, State Industrial & Investment, Corporation of Maharashtra Ltd., Bombay. — *Member*
3. Shri B. S. V. Rao, Development Officer, Directorate General of Technical Development, New Delhi. — *Member*

The above body shall submit its report to the Central Government within a period of three weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. 2 (16) 73-CUC]

D. K. Saxena, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1973

का० आ० 630(अ) /15/आईडीआर ए/73.—यत: मैसर्स हिन्द साइकल्स लिमिटेड, मुम्बई (मुम्बई एकक) नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योगों अर्थात् बाइसिकल और बाइसिकल्स चेन उद्योग में लगा है ;

और यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ऐसे रूप में चलाया जा रहा है जो अनुसूचित उद्योगों और लोक हित के लिए अत्यन्त हानिकर है

अत:, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस मामले की परिस्थितियों में पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री बी० जे० राय, —अध्यक्ष
   महाप्रबन्धक,
   इंडस्ट्रियल रीकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया,
   लिमिटेड, कलकत्ता ।
2. श्री विजय कुमार, मुख्य अभियन्ता, —सदस्य
   स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट
   कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड,
   मुम्बई ।
3. श्री बी० एस० वी० राव, —सदस्य
   विकास अधिकारी,
   महानिदेशालय, तकनीकी विकास,
   नई दिल्ली ।

उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[सं० 2 (16)/73-सी०यू०सी०)]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973